ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– /12–1(2) दिनांक 12/05/2023::

1- पंजिका क्रमांक 725
2- पत्रांक क्रमांक 136
3- दिनांक 30/05/23

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39084/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/179/2020/एफ.सी./240 दिनांक 19.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में कुल प्रभावित 4.50 है0 वन भूमि आपके वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत है तथा प्रभावित भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–न्यालसू 9.00 है0 सिविल भूमि इस वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत चयनित की गई है। उक्त चयनित भूमि के संबंध में भारत सरकार स्तर से वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. (सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन) स्कीम संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की अधिसूचना कार्यविधि है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना से संबंधित दस्तावेज को संबंधित वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) के अनुपालन में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का म्यूटेशन आदेश की प्रति **संलग्नक–2,** अमलदरामद की प्रति **संलग्नक–3** (सिविल और सोयम भूमि) तथा उक्त क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 3695 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

वन भूमि सहायक

29/05

25.5.23